न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–21/2024 (2024/49)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. पुनाराम पुत्र श्री जोगाराम जाति जाट निवासी ग्राम ढाणा विश्नोईयान तहसील झंवर जिला जोधपुर।		1. किशनाराम पुत्र राणाराम 2. जसीदेवी पत्नि नैनाराम 3. दूर्गाराम पुत्र नैनाराम 4. नारायणराम पुत्र नैनाराम 5. रतनाराम पुत्र नैनाराम 6. वेनाराम पुत्र नैनाराम सभी जातियान–जाट निवासीगण ढाणा विश्नोईयान तहसील झंवर जिला जोधपुर। 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : –

1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री अर्जुन बोराणा ।
2. अप्रार्थी संख्या 1, 3 से 5 की और से जी आर पटेल।

दिनांक :–02-7-2024

–: आदेश :–

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार से है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमियां ग्राम ढाणा विश्नोईयान पटवार हल्का झंवर भू.अ.नि. झंवर, तहसील झंवर जिला जोधपुर के खसरा संख्या 1563/1 में प्रार्थी की कृषि भूमि रकबा 5.1800 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1566 में रकबा 7.4867 हैक्टेयर आई हुई है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी अपने–अपने खसरे की कृषि भूमि में कृषि कार्य करते आ रहे है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के खेत खसरान के पडौसी खातेदारान जिसमें खसरा संख्या 1571/1536 के लगता राजस्व नक्शें में कटाणी रास्ता पूर्व से चला आ रहा है। कटाणी रास्ते के लगते खेत खसरा संख्या 1571/1536, 1569, 1568, 1567, 1566 से होते हुए प्रार्थी अपने खेत में आता जाता था परन्तु हाल ही में प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पडौसी खेत खसरान संख्या 1571/1536, 1569, 1568, 1567 के खातेदारों द्वारा अपनी स्वेच्छा से खेतों में आने जाने हेतु कोई रास्ता राजस्व रेकर्ड में नही होने के कारण उक्त चारों खातेदारों द्वारा अपने अपने खेत खसरे में से रास्ते हेतु भूमि समर्पित की गई है। जिसका इन्द्राज ऑनलाईन नक्शें में किया गया है। वर्तमान में प्रार्थी अपने खेत खसरा संख्या 1563/1 में अपने पडौसी खातेदार खेत खसरा संख्या 1566 के खातेदारान की मौखिक सहमती से अपने खेत में आ जा रहा है। खसरा संख्या 1566 वाले रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता/मार्ग अपने खेत खसरा संख्या 1563/1 में आने जाने हेतु उपलब्ध नही है एवं एक मात्र यही रास्ता

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

प्रार्थी के खेत खसरे में आने जाने हेतु सुलभ एवं राजगामी मार्ग से नजदीक है, जिसको प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नक्शें में खसरा संख्या 1566 में ए सी बी भाग के रूप में लाल रंग से दर्शाया गया है जिसकी लम्बाई 170 फीट है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी अपने खेत में आने जाने हेतु उपयोग में पीढीयों से लेता आ रहा है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1567/1 में आने जाने हेतु खसरा संख्या 1566 में से होते हुए आने जाने के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में कटाणी रास्ता दर्ज करांने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थी नियमानुसार सम्बन्धित अप्रार्थीगण के हिस्सेनुसार निर्धारित राशि रास्ते की भूमि की जमा कराने हेतु तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नक्शें में खसरा संख्या 1566 में लाल रंग से ए से बी मार्क किये भाग बमाप 170 बाई 30 फीट को प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1563/1 में आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 7 तहसीलदार झंवर को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, व 5 की ओर से अधिवक्ता जी.आर. पटेल द्वारा वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी व उसके पूर्वज कभी भी अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1566 में से आते–जाते नहीं रहे है बल्कि आज तक डेलूंबा नाडा (तालाब) के पास स्थित चालु मार्ग (वर्तमान में भी है) से ही होते हुए खसरा संख्या 1589, 1558, 1576, 1577, 1560, 1562 होते हुए 1563/1 के बनी ढाणियों से आते है जो आज भी मौके पर चालू हालात में है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय को गुमराह कर वास्तविक चलायमान रास्ते को छुपाकर सुविधा की दृष्टि से रास्ता प्राप्त कर फायदा उठाना चाहा है जो धारा 251–ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी काफी सालों से अपनें अपने ढाणियों एवं खेत मे आने जाने हेतु डेलुम्बा नाडा (तालाब) के पास होकर आने वाले रास्ते से ही आते जाते है जो रास्ता 4–5 पीढियों से चलता आ रहा है तथा केवल मात्र धन बल व सुविधा की दृष्टि से रास्ते की मांग की जा रही है जो विधिक विरूद्ध है तथा काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है जबकि मौके पर ऐसा कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी के पास सालों से अपने घर ढाणियों तथा कृषि भूमि में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी का पार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारीज करने का निवेदन किया है।

तहसीलदार झंवर के पत्र कमांक कॉर्ट/2024/479 दिनांक 25.11.2024 के द्वारा प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल पत्रालवी की गई। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट के संबधं में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का पेश कर मौके की विस्तृत रिपोर्ट चलायमान रास्तों की वर्तमान स्थिति मय धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की पालना कर संपूर्ण बिंदूओं सहित पुनः रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जाकर तहसीलदार झंवर से पुनः तथ्यात्मक रिपोर्ट मय स्पष्ट अनुशंषा हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार झंवर के पत्र कमांक कॉर्ट/2024/199 दिनांक 16.06.2025 के प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार झंवर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि 1563/1 में

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

आने–जाने हेतु ग्राम ढाणा विश्नोईया के खसरा नंबर 1566 रकबा 7.4867 हैक्टेयर कृषि आराजी की उत्तरी मांठ के सहारे 30 फीट चौड़ाई का नवीनतम रास्ता प्रस्तावित किया है जो कि मौका रिपोर्ट में खसरा नंबर 1566 में से लाल स्याही में A से B के रूप में दर्शित किया हुआ है। खसरा नंबर 1563/1 की कृषि आराजी से अन्य कोई निकटतम कटाण रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ते के प्रस्तावित क्षेत्रफल में कोई वृक्ष इत्यादि अवसंरचना नहीं है व भूमि मौके पर खाली है। पुनः तहसीलदार झंवर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया गया है कि मौका फर्द दिनांक 27.09.2024 के अनुसार दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ता पूर्णतया बंद है। वर्तमान में आस–पड़ौस के अन्य खसरों में से आना जाना करते है जो कि दुरस्त व सुचारू नहीं है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सूनी गई। बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चुंकि प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी की कृषि भूमि में आने जाने हेतु किसी प्रकार का कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही होने के कारण यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा तहसीलदार झंवर द्वारा पेश तथ्यात्मक रिपोर्ट एंव मौका फर्द रिपोर्ट अनुसार भी प्रस्तावित रास्ता ही सबसे लघुन्तम एंव निकटतम होना बताया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251(अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1563/1 में पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 1566 ग्राम ढाणा विश्नोईयान तहसील झंवर की कृषि भूमि में से तहसीलदार झंवर की मौका फर्द दिनांक 27.09.2024 के संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार अनुसार A से B तक 15 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध करवाया जाता है। तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि उक्त खसरा 1566 ग्राम ढाणा विश्नोईयान तहसील झंवर में से तहसीलदार रिपोर्ट के सलंग्न नज़री नक्शे अनुसार मार्क A से B तक की भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद व तरमीम करे। मौके पर रास्ता कायम कर खुलवाया जावें। उक्त रास्ते की भूमि की प्रतिफल की राशि का तहसीलदार लूणी गणना कर प्रार्थी को अवगत करवाए प्रार्थी उक्त राशि की चैक अथवा डी. डी. बनाकर तहसीलदार लूणी के समक्ष पेश करें। मौका फर्द दिनांक 22.09.2024 इस आदेश का अभिन्न अंग समझी जाए। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्त हो।

(पुखराज कांसौटिया आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी